कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
ESIC
सत्यमेव जयते
मुख्यालय/Headquarters
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, N. Delhi-110002
वेबसाइट:www.esic.nic.in / www.esic.in
ईमेल: rajbhasha-hq@esic.nic.in

संख्या: ए-49021/1/2025-रा.भा. दिनांक: 06.11.2025

सेवा में

- बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, क.रा.बी.निगम, नई दिल्ली।
- सभी अपर आयुक्त/क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय,क.रा.बी.निगम।
- सभी निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, उ.क्षे.का.,क.रा.बी.निगम।
- निदेशक(चिकित्सा), निदेशालय(चिकित्सा),दिल्ली/नोएडा, क.रा.बी.निगम।
- सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
- सभी संकायाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख, क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय/ स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।

विषय : <u>क.रा.बी.निगम के 34वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन।</u>

महोदय/महोदया,

कर्मचारी राज्य बीमा निगम इकाइयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के प्रयोजन से 34वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन दिनांक 22-23 दिसंबर, 2025 (सोमवार एवं मंगलवार) को विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश में होना निश्चित हुआ है। इसकी **अध्यक्षता महानिदेशक** महोदय करेंगे।

इस सम्मेलन में निगम कार्यालयों तथा अस्पतालों में तैनात संयुक्त निदेशक(राजभाषा)/उप निदेशक(राजभाषा) तथा सहायक निदेशक(राजभाषा) भाग लेंगे। नियमित सहायक निदेशक(राजभाषा) तैनात न होने की स्थिति में कार्यालय में तैनात अनुवाद अधिकारी द्वारा भाग लिया जाएगा। किसी कार्यालय/अस्पताल में एक से अधिक अनुवाद अधिकारी तैनात होने पर वरिष्ठतम (senior most) अनुवाद अधिकारी द्वारा भाग लिया जाएगा। जहां कोई अनुवाद अधिकारी तैनात ही नहीं है, वहां प्रभारी राजभाषा अधिकारी (संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक/सहायक निदेशक, जो राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कार्य देखते हों) सम्मेलन में भाग लेंगे। किसी भी इकाई से केवल एक ही प्रतिभागी सम्मेलन में सम्मिलित होगा, तथापि वर्ष 2023-24 के शील्ड विजेता या सर्वश्रेष्ठ हिन्दी गृह पत्रिका की विजेता इकाइयों के राजभाषा प्रभारी अपने अनुवाद अधिकारी सहित सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। वर्तमान में जरूरी प्रशासनिक कार्यों, स्प्री, मंत्रालय/मुख्यालय द्वारा आकस्मिक रूप में की जा सकने वाली वीडियो कांफ्रेंस/ दिए जा सकने वाले कार्यों, चिकित्सा सेवाओं में तात्कालिक कार्य, सुधार आदि को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय हुआ है कि कार्यालय प्रभारी/कार्यालय प्रमुख/चिकित्सा अधीक्षक/अधिष्ठाता(डीन) सम्मेलन में कृपया प्रतिभागिता न करें।

कृपया सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकारी को निदेश दें कि पिछले सम्मेलन के कार्यवृत्त की अनुवर्ती कार्रवाई मुख्यालय को **<u>दिनांक 29.11.2025</u>** तक **ई-मेल rajbhasha-hq@esic.nic.in** पर प्रेषित करें। सम्मेलन के सभी प्रतिभागी/प्रतिनिधि अपने क्षेत्राधिकार (क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/अस्पताल/महाविद्यालय) में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन **<u>दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025</u>** (अर्थात जून 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2024 और मार्च 2025 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट) की स्थिति (status) एवं विशेष उपलब्धियों से संबंधित सूचना संलग्न प्रोफ़ार्मा अनुसार भेजें। सभी प्रतिभागियों के लिए यह सूचना भेजना अनिवार्य होगा। सभी संयुक्त निदेशक(राजभाषा)/उप निदेशक(राजभाषा) अपने अंचल/उप अंचल में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति/उपलब्धियों का विवरण साथ लेकर आएं।

विधिवत दौरा कार्यक्रम अनुमोदन उपरांत प्रतिभागी अधिकारी यथापेक्षित सूचना संलग्न प्रोफ़ार्मा में भर कर **<u>अंतिम तिथि 05.12.2025 तक</u>** **<u>ई-मेल rajbhasha-hq@esic.nic.in</u>** पर अवश्य भेज दें और इसकी

सूचना सम्मेलन आयोजित करने वाले कार्यालय को भी दी जाए। विलंब से प्राप्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा और होटल में ठहरने की व्यवस्था भी संभव नहीं हो पाएगी। दौरा कार्यक्रम अनुसार टिकट आदि सुनिश्चित हो जाने के बाद आगमन और प्रस्थान की तिथि/समय/साधन आदि की सटीक जानकारी उप क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखपट्टणम को तत्काल ईमेल ol-vizag@esic.nic.in पर दें, ताकि व्यवस्था में सहूलियत हो सके। होटल आरक्षण की व्यवस्था उप क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखपट्टणम द्वारा की जाएगी और तदनुसार सम्मेलन स्थल की जानकारी भी उक्त कार्यालय द्वारा यथासमय दी जाएगी।

संपर्क सूत्र :-

1) श्री रोहित कुमार साहू, सहायक निदेशक(राजभाषा प्रभारी)
उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, विशाखपट्टणम
मोबाइल नं.:7848024741

2) श्री पोलिकार्प सोरेंग, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, विशाखपट्टणम
मोबाइल नं.:8961293805

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

संलग्न : यथोपरि

06.11.2025

(श्याम कुमार)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि :

1. उप निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, विशाखपट्टणम को सम्मेलन की व्यवस्था एवं सूचना हेतु।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस अनुरोध के साथ कि इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करें।

06.11.2025

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

राजभाषा सम्मेलन में प्रतिभागिता हेतु अपेक्षित सूचना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

कार्यालय/अस्पताल/संस्थान का नाम व पता...

वर्ष 2024-2025

1. प्रतिभागी अधिकारी का नाम :

(क) पदनाम :

(ख) ईमेल पता :

(ग) मोबाइल संख्या :

2. क्या कार्यालय/अस्पताल राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित है:- **हाँ/नहीं**

(क) राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 8(4) के तहत विनिर्दिष्ट शाखाओं का विवरण:-

शाखाओं की कुल संख्या	**विनिर्दिष्ट शाखाओं की संख्या**

3. वार्षिक कार्यक्रम जारी करने की तिथि :

4. जांच बिन्दु जारी करने की तिथि :

5. व्यक्तिश: आदेश जारी करने की तिथि :

6. हिन्दी कार्यशाला,विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एवं तिमाही प्रगति रिपोर्ट के विवरण:

क्र. सं.	**तिमाही**	**हिंदी कार्यशाला के आयोजन की तिथियां**	**विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन की तिथियां**	**राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजने की तिथियां**
1	अप्रैल-जून 2024			
2	जुलाई-सितंबर 2024			
3	अक्तूबर-दिसंबर 2024			
4	जनवरी-मार्च 2025			

7. मूल हिंदी पत्राचार का प्रतिशत (भाषा क्षेत्र _________) :

क्षेत्र जिसमें पत्र भेजे गए	**हिंदी पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य**	**हिंदी पत्राचार का प्रतिशत**
'क' क्षेत्र में		
'ख' क्षेत्र में		
'ग' क्षेत्र में		

8. राजभाषा नियम 5 का अनुपालन (हिंदी में प्राप्त पत्रों की स्थिति)

वर्ष के दौरान हिंदी में प्राप्त कुल पत्र :

जिनके उत्तर अंग्रेजी में दिए गए :

9. राजभाषा नियम 3 का अनुपालन (अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की स्थिति)

वर्ष के दौरान अंग्रेजी में प्राप्त कुल पत्र :

जिनके उत्तर अंग्रेजी में दिए गए :

10. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत जारी दस्तावेजों की स्थिति

जारी कुल दस्तावेज़ :

केवल अंग्रेजी में जारी दस्तावेज़ :

केवल हिंदी में जारी दस्तावेज़ :

द्विभाषी में जारी दस्तावेज़ :

11. राजभाषा निरीक्षण:

कुल अधीनस्थ कार्यालय	निरीक्षण किए गए अधीनस्थ कार्यालयों की संख्या

कुल शाखाएं	निरीक्षण की गई शाखाओं की संख्या

12. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

क्र.सं.	बैठक की तिथि	कार्यालयाध्यक्ष की प्रतिभागिता हां/ नहीं

13. हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय

जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय	हिंदी पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय	हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय का प्रतिशत

14. हिंदी प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाएं

प्रोत्साहन/पुरस्कार योजना का नाम	कुल कार्मिक	पुरस्कृत कार्मिकों की संख्या
क.रा.बी.निगम(हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन) योजना		
निगम कार्यालयों में प्रचलित मूल हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन योजना		
राजभाषा कार्यान्वयन-सुझाव पुरस्कार योजना		
क.रा.बी.निगम के अधिकारियों को हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना		

15. अन्य विशिष्ट उपलब्धियां :

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर एवं मोहर